राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्र. एफ 16(8)परि/लेखा/राजस्व/विविध/2021–22/06480/11530 दिनांकः 04/09/2025

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, पार्ट प्रथम के नियम 42 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेश 05/2024 राजकाज नं. 6074435, दिनांक 14.03.2024 की निरन्तरता में विभागीय निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा चालान के कम्पाउन्ड किये जाने के दौरान नकद राशि की प्राप्ति पूर्ण रूप से समाप्त की जाती है। विभाग के अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में जमा करायी जा रही समस्त जमाऐं ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश दिनांक 11.09.2025 से लागू होगा।

(शुचि त्यागी)
शासन सचिव एवं आयुक्त,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।

क्र. एफ 16(8)परि/लेखा/राजस्व/विविध/2021–22/06480/11531-11540 दिनांकः 04/09/2025

प्रतिलिपिः– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,माननीय उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(वित्तीय नियम) विभाग।
4. परियोजना निदेशक, आई.एफ.एम.एस, कोष एवं लेखा विभाग को ई–ग्रास पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। ।
6. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
7. अपर परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
8. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को भेज कर लेख है कि उक्त आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आमजन/वाहन मालिकों हेतु उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करावें।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त पॉस मशीन में आवश्यक रूप से अनकम्पाउण्ड को ऑनलाईन कम्पाउण्ड करवाने की व्यवस्था एवं समस्त पॉस मशीनों में Latest Version उक्त आदेश लागु होने तक रन करवाना सुनिश्चित करावें।
10. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार